


प्रकरण संख्या 129/2020 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपरखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. गोपाल पिता भेरुलालजी जाति कुमावत निवासी चान्दखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. अम्बालाल पिता भानीरामजी जाति मीणा निवासी जलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

-वादीगण

बनाम

1. सलीम पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. अब्दुल रज्जाक पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. नासिर पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. अब्दुल शाकीर पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. मुन्नी उर्फ बदरुन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. रुकसाना पुत्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. तसलीम पुत्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
8. फेफाबाई पत्नि मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
9. गुलशेर पिता अलाबक्ष निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
10. हमीच खां पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
11. कल्लु खां पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
12. मुबारीक पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
13. शेर खां पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
14. इकवाल हुसैन पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
15. रईस खां पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
16. सिराज खां पिता मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
17. रुकईया बानो पत्नि मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
18. उषाबाई पत्नि मनोहरलाल जाति खटीक निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
19. देऊबाई बेवा गणेशलाल जी जाति माली निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
20. किशन लाल पिता गणेशलाल जी जाति माली निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
21. दुर्गा बाई पुत्री गणेशलाल जी जाति माली निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०



विकास पंचोली

2. पुजा बाई पुत्री गणेशलाल जी जाति माली निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
23. पुष्पा देवी पुत्री गणेशलाल जी जाति माली निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
24. देवली पुत्री मदन जी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
25. सीमा पुत्री मदन जी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
26. संतु पुत्री मदन जी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
27. निर्मला पुत्री मदन जी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
28. भवरी बाई पुत्री शंकर जी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
29. कजोडी पुत्री शंकरजी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
30. कमली पुत्री कंवलचन्द जाति भील निवासी नरसिंहगढ तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
31. पपली बाई पुत्री धन्ना जी जाति भील निवासी खेराबाद तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव - अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :- 06.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बहाजिरी श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव वादी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेडा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर मौजा खेराबाद प०ह० डला उर्फ किशनपुरा तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता सख्या 10 की आराजी नं० 23 रकबा 4.5500 हैक्टेयर का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 04.09.2023 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

1.	श्री गोपाल पिता भेरूलाल कुमावत निवासी चांदखेड़ा
	आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) लगान
	23 1.95 49.75

.....
कुल किता-1 1.95 49.75
.....



2.	श्री अंबालाल पिता भानीराम जी मीणा निवासी जलिया
	आराजी न. रकबा (हैक्टेयर) लगान
	23 0.62 15.81

.....
किता-1 0.62 15.81
.....

3. सलीम, अब्दुल रजाक, नासिर अब्दुल शाकिर, मुन्नी उर्फ बदरुन, रुकसाना, तसलीम पिता मोहम्मद हुसैन, फेफाबाई पत्नी मोहम्मद हुसैन 65/396, गुलशेर पिता अलाबक्ष 65/396 हमीद खां, कालु खां, मुबारिक खां, शेर खां, इकबाल हुसैन, रईस खां, सिराज खां पिता मुनीर खां, रुकईया बानो पत्नी मुनीर खां 65/396, उषा बाई पत्नी मनोहर

लाल 65/198 खटीक निवासी निम्बाहेडा, किशनलाल, दुर्गाबाई, पुजाबाई, पुष्पादेवी पिता गणेशलाल, देउबाई पत्नी गणेशलाल माली 65/396 (हिस्सा गणेश पिता शंकरलाल) निवासी निम्बाहेडा, देवली, सीमा, संतु, निर्मला पिता मदन 1/1980, भंवरीबाई पिता शंकर, कजौड़ी पत्नी शंकर 1/495 भील सा.देह कमली पिता कंवलचंद 1/396 भील सा. नरसिंहगढ, पपली बाई पिता धन्ना भील 2/198 सा.देह

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	लगान
23	1.98	50.47

किता-1	1.98	50.47
--------	------	-------

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बावत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा
 सहायक कलक्टर
 निम्बाहेडा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय हुक्मनामा			बावत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।